फाइल सं0 6/11/एनसीएससी/2010-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

<u>रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 04 जनवरी, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चौथी बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 27-12-2010 को** 3.00 **बजे अपराह्न** आयोजित चौथी बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सहायक

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर <u>3 दिन के भीतर</u> कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चौथी बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चौथी बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक 27-12-2010 को 3.00 बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

2. प्रारम्भ में, संयुक्त सचिव ने माननीय अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया । उसके बाद निम्नानुसार कार्यवाही आरम्भ की गई:-

आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: श्रीमती बाकुल मंडल पत्नी श्री अरुप कुमार मंडल का उनके पति की भारतीय तेल निगम में सेवा बहाली हेतु अभ्यावेदन ।

श्री अरुप कुमार मंडल, कोलकाता की भारतीय तेल निगम में सेवा की बहाली के मामले पर आयोग की बैठक में विचार-विमर्श किया गया । आयोग के नोटिस में आया कि श्री मंडल ने वर्ष 2003 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया था तथा उन्होंने सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्राप्त कर लिए थे । अत: आयोग ने पाया कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड में वापस सेवा बहाली के इस मामले में कोई वास्तविकता नहीं है । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 2: श्री जोगिन्दर सिंह, नई दिल्ली का वर्ष 2004 में डाक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन ।

श्री जोगिन्दर सिंह, डाक विभाग, नई दिल्ली के डाक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आयोग ने पाया कि श्री जोगिन्दर सिंह का मामला डाक विभाग में उठाया गया था । डाक विभाग ने सूचित किया है कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति के मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से भी विचार किया गया था जिसने बाद में सलाह दी थी कि डाक विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1-1-1998 के का.ज्ञा. में दिए गए अनुदेश के अनुसार मामले पर कार्यवाही करे । आयोग ने उन विषयों, जिनके आधार पर कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों को प्राप्त करने और उच्चतम न्यायालय के आई.ओ.बी. मामले का विस्तृत ब्योरा लेने की सलाह दी । ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात् विधि विशेषज्ञ

के विचार लिए जाए और मामले को आयोग द्वारा विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाए । (**कार्रवाई: एसएसडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 3: अजा/अजजा/अल्पसंख्यकों को कर रियायत ।

इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई । तथापि, आयोग के समक्ष अनुसूचित जातियों को करों में रियायत दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया । (**कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं**)

कार्यसूची की मद संख्या 4: विशेषज्ञ समितियों का गठन ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर समितियों के गठन को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए । उनका विचार था कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कार्यरत उपयुक्त एन.जी.ओ. के बारे में जानकारी हासिल की जाए और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भी इन समितियों से संबद्ध कर दिया जाए । उन्होंने निदेश दिया कि अनुसूचित जातियों के मामले में विशेषज्ञों का उपयुक्त जीवन-वृत्त प्राप्त किया जाए और विभिन्न विषयों पर गठित की जाने वाली समितियों में उनके सहित सभी सदस्यों में परिचालित किया जाए । उन्होंने उत्तर प्रदेश से विशेषज्ञ के रूप में श्री धारा पुरी, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) को लेने की सलाह दी । माननीय अध्यक्ष ने पहले से निश्चित कुछ समितियों की नामावली में कुछ बदलावों का सुझाव दिया । तदनुसार, निम्नलिखित समितियों को अन्तिम रूप दिया गया है:

1. मानव अधिकार समिति के स्थान पर अनुसूचित जातियों पर अत्याचार संबंधी समिति ।
2. आर्थिक विकास समिति के स्थान पर एससीपी एवं एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावकारी उपयोगिता संबंधी समिति ।
3. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास समिति ।
4. 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को भूमि/पट्टों की आबंटन समिति ।
5. न्यायपालिका में आरक्षण समिति ।
6. एनसीएससी के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण समिति ।
7. रोज़गार एवं आरक्षण समिति ।
8. सफाई कर्मचारियों की दशा में सुधार संबंधी समिति ï मैनुअल स्वच्छकारों का उन्मूलन

प्रत्येक समिति में आयोग का एक अधिकारी सम्मिलित किया जाए जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

कार्यसूची की मद संख्या 5: किसी न्यायाधीन मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अहस्तक्षेप की व्याख्या ।

माननीय अध्यक्ष ने क्रियाविधि नियमों में प्रावधानों का अवलोकन किया जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, न्यायाधीन मामले में जहां हस्तक्षेप कर सकता है, इस विषय में विधि विशेषज्ञों के परामर्श से मामला तैयार करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव लाया जाए । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

कार्यसूची की मद संख्या 6: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।

1. पूरे आयोग की बैठक हेतु माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से भेंट तय करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को एक पत्र भेजा जाए जिसमें लम्बित मुद्दों को भी पूर्व में अग्रेषित कर दिया जाए ताकि माननीय मंत्री के साथ लाभदायक विचार-विमर्श किया जा सके । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

2. माननीय अध्यक्ष की इच्छा थी कि तमिलनाडु की राज्य समीक्षा दिनांक 31-01-2011 और दिनांक 01-02-2011 को की जाए । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

3. आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और आयोग की वेबसाइट को पुनः आरंभ करने के मुद्दों पर आयोग की बैठक में विचार केवल कार्यसूची के माध्यम से किया जाए । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 27-12-2010 को अपराह्न 3.00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित चौथी बैठक ।

<u>उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी</u>

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राजू परमार, सदस्य
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

<u>अधिकारी</u>

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
4. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव